निबंधन संख्या पी0टी0-40



1 पौष 1933 (शO) (संO पटना 80O) पटना, वृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2011

सं० एल0जी0-1-26/2011/लेज-242—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

> बिहार–राज्यपाल के आदेश से, ओम प्रकाश सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 24, 2011] बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011

प्रस्तावनाः—(i) चूँकि अद्यतन अधिकार—अभिलेखों का निर्माण एवं संधारण वह मूलाधार है जिसपर राजस्व एवं भूमि संसाधन प्रबन्धन तथा प्रशासन आधारित है;

(ii) चूँकि, अनुभव बताता है कि राज्य के कुछ भागों में, पारम्परिक पद्धतियों से कराए जा रहे सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन, दीर्घसूत्री, संश्लिष्ट तथा अत्यधिक खर्चीले हुए हैं;

(iii) चूँकि, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तथा अररिया में 1952 से 1986 तक; मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली में 1959 से 1988 तक; सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल में 1962 से 2002 तक पुनरीक्षण सर्वे प्रचालन संचालित किए गए तथा ये प्रचालन दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 1965 से; भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर में 1959 से; गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद तथा नवादा में 1965 से; भागलपुर तथा बाँका में 1965 से एवं पटना में 1986 से अब तक जारी हैं;

(iv) चूँकि, पुनरीक्षण सर्वे एवं बन्दोबस्त का प्रयोजन ही विफल हो जाता है यदि जिस कालखंड पर इसे लिया जाता है, वह पूर्व में यथा दर्शित सुदीर्घ हो;

(v) चूँकि, राज्य के 12 जिलों, यथा, मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई तथा मुंगेर; सारण प्रमंडल में सारण, सीवान तथा गोपालगंज; तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चम्पारण तथा पश्चिमी चम्पारण एवं पटना प्रमंडल में नालन्दा में कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के बाद से कोई पुनरीक्षण सर्वे एवं बन्दोबस्त नहीं कराया जा सका;

(vi) चूँकि, चालू खतियान (पंजी–1–B), खेसरा पंजी एवं पंजी–II (Tenants' Ledger) जिन्हें अंचल कार्यालयों में अद्यतन रूप से संधारित किया जाना था, तद्नुसार संधारित नहीं किए जा सके एवं परिणाम स्वरूप, समय–समय पर, हो रहे अन्तरण, उत्तराधिकार, दाखिल–खारिज आदि, उनमें प्रतिबिम्बित नहीं होते;

(vii) चूँकि, भारत सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व यथा प्रायोजित भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में समरूप दृष्टिकोण का अनुपालन नहीं किया गया;

(viii) चूँकि, कम्प्यूटर में प्रविष्ट तथ्यों का सरजमीन की अद्यतन वास्तविकताओं से तालमेल के अभाव में स्वामित्व के अनुवर्त्ती दावों तथा भू–अभिलेखों में उनके प्रतिबिम्बन के बीच खाई है;

(ix) चूँकि, सर्वेक्षण भाग पर लागत समय को न्यूनतम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जबकि बन्दोबस्ती के पहलू का, गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा शिकायत—निवारण का परित्यजन किए बिना, न्यायसंगत संक्षेपीकरण किया जा सकता है;

(x) चूँकि, भूमि विकासात्मक गतिविधियों का मूलाधार है; हाल स्वामित्व, दखल एवं भूमि के वर्गीकरण को अन्तिम रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि भू–अर्जन का प्रचालन निराधार दावों, कपट तथा जालसाजी से दूषित न हो और साथ ही कृषि–ऋण, अनुदान, साहाय्य तथा बीमा से सम्बन्धित गतिविधियाँ सुगमतापूर्वक चलाई जा सकें;

(xi) चूँकि, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किए गए डिजिटल मानचित्रों को पारम्परिक विधियों से तैयार मानचित्रों से सत्यापित एवं तुलित करने की आवश्यकता है, साथ ही उनका सरजमीनी सत्यापन भी आवश्यक है, तकनीकी योग्यता रखने वाले अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर को यह दायित्व दिया जा सकता है;

(xii) चूँकि, मानचित्र निर्माण के बाद के चरण में अद्यतन स्वत्व, स्वामित्व एवं दखल तथा भूमि की अन्य आवश्यक विवरणी को ध्यान में रखते हुए आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करना आवश्यक है तथा पूर्वोक्त तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यह दायित्व एक नियमित आधार पर दिया जा सकता है;

(xiii) चूँकि, मानचित्र सहित, अधिकार अभिलेखों के संधारण की अन्तर्भूत कम्प्यूटरीकृत तथा डिजिटल व्यवस्था समस्त विकास प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है तथा पूर्वोक्त तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यह दायित्व एक नियमित आधार पर दिया जा सकता है।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित हो :--

 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय—1 परिभाषाएँ

2. परिभाषाएँ I—(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1959 तथा बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 में उपबन्धित परिभाषाएं प्रचलित रहेंगी।

(2) विशेष परिभाषाएँ ।-इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011;
- (ii) "समाहर्त्ता" से अभिप्रेत है जिला का समाहर्त्ता;
- (iii) "प्रारूप प्रकाशन" से अभिप्रेत है अधिकार–अभिलेख के प्रारूप का प्रकाशन, ताकि सर्वेक्षण प्राधिकारों के द्वारा की गयी प्रविष्टियों के बारे में जानने हेतु जनता को समर्थ किया जा सके। कोई भी व्यक्ति, जिसे प्रविष्टियों के विरुद्ध शिकायत हो, आपत्ति दायर कर सकेगा जिनकी सुनवाई एवं निपटारा किया जायेगा;
- (iv) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
- (v) "अन्तिम प्रकाशन" से अभिप्रेत है खतियानों की स्वच्छ प्रतियाँ तैयार करना तथा सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों में उनका अन्तिम प्रकाशन;
- (vi) "जाँच" से अभिप्रेत है आपत्तियों के निपटारे के बाद की गयी अभिलेखों की अन्तिम जाँच;
- (vii) "खानापुरी" से अभिप्रेत है खतियान के स्तम्भों यथा– रैयत का नाम, खेसरा, दखल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों के प्रारम्भिक अभिलेख–लेखन चरण में, भरा जाना।
- (viii) "खेसरा" से अभिप्रेत है मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्यांकित भूखण्डों की, दखलकारों, रकबा तथा भू–खंडवार वर्गीकरण दर्शानेवाली सूची;
 - (ix) "खतियान" से अभिप्रेत हैं भूमि की भू–खंड संख्या, रकबा, गुणवत्ता तथा दखल सहित रैयतों के अधिकारों का एक अभिलेख;
 - (x) "भूधारी" से अभिप्रेत है बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 में परिभाषित भूधारी;
 - (xi) "अनुज्ञप्तिधारी सर्वेयर" से अभिप्रेत भूखण्डों की नापी, माप के अनुसार स्केच मैप/मैप बनाने में तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त, सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्ती से सम्बन्धित कार्य तथा समय–समय पर यथा समनुदेशित ऐसे कार्य को क्रियान्वयन, के लिए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार से अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति;
- (xii) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित;
- (xiii) "विहित फीस" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर की सेवाएँ लेने के लिए रैयतों के द्वारा भुगतेय राशि;
- (xiv) "पारिश्रमिक" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर की सेवा लेने के लिए सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय के द्वारा भुगतेय राशि;
- (xv) "किस्तवार" से अभिप्रेत है कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भूखंडकरण;
- (xvi) "मुकाबला" से अभिप्रेत है तुलना,
- (xvii) ''रदीफ'' से अभिप्रेत है व्यवस्थित करना;
- (xviii) ''अधिकार—अभिलेख'' से अभिप्रेत है श्रेणी, स्वामित्व, स्वरूप, रकबा इत्यादि के साथ सर्वेक्षित भूमि की प्रविष्टि। अन्तिम प्रकाशन के बाद, इसकी शुद्धता की कानूनी उपधारणा होती है;
- (xix) ''विश्रान्ति'' से सामान्यतया अभिप्रेत है वह चरण जिसके दौरान खानापुरी चरण के बाद वाले चरण के लिए अभिलेख तैयार किए जाते हैं;
- (xx) ''पुनरीक्षण सर्वेक्षण'' से अभिप्रेत है भू–अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के नील मानचित्र के आधार पर प्रारम्भ किए गए तथा संचालित सर्वेक्षण कार्यान्वयन;
- (xxi) ''सफाई'' से अभिप्रेत है स्वच्छ प्रति तैयार करना;
- (xxii) ''बन्दोबस्त'' से अभिप्रेत है किसी जिले या किसी क्षेत्र में भू–राजस्व निर्धारण निश्चित करने हेतु प्रचालित सर्वे का कार्यान्वयन;
- (xxiii) "राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य;
- (xxiv) ''तरमीम'' से अभिप्रेत है शुद्धीकरण आदेश का अनुपालन,
- (xxv) ''तरतीब'' से अभिप्रेत है अभिलेखों का व्यवस्थापन; रैयतों के नामों के अनुसार खतियान को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना।

अध्याय–2 विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त

3. राजपत्र में आशय की अधिसूचना।—राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, सरकार सम्पूर्ण राज्य या इसके किसी भाग में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त चलाने का आशय अभिव्यक्त कर सकेगी।

4. चालू सर्वेक्षण कार्यान्वयनों का पुनर्गठन।—सरकार, आदेश के द्वारा, सम्बन्धित जिलों में चालू पुनरीक्षण सर्वे कार्यान्वयनों को, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, जहाँ तक यह आवश्यक समझा जाए, विहित रीति से, लाने के लिए पुनर्गठन कर सकेगी तथा इस परिवर्त्तन के कारण पूर्ववर्त्ती कार्यवाहियों को किसी हद तक अवैध नहीं समझा जाएगा।

5. भूधारियों द्वारा स्वघोषणा I—धारा—3 के अधीन अधिसूचना के उपरान्त, कोई भूधारी अपने स्वामित्व के/धारित भू—खण्डों की, स्वघोषणा, विहित रीति से, सम्बन्धित अंचल कार्यालय/शिविर कार्यालय में समर्पित कर सकेगा। अंचल कार्यालय स्वघोषणा का सत्यापन उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर करेगा एवं सत्यापन प्रमाण—पत्र निर्गत करेगा।

6. आधुनिक तकनीक द्वारा किस्तवार I—(1) किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा, धरातल मानचित्रण, सीमांकन तथा जमीनी सत्यापन सहित, इस निमित्त अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

(Ž) किस्तवार कार्यान्वयन, स्थानीय स्तर पर, पंचायती राज संस्थाओं तथा सम्बन्धित ग्रामों की जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने एवं सुविधा देने के लिए सम्यक् रूप से प्रचारित किया जायेगा।

7. खानापुरी दलों का गठन तथा अधिकार—अभिलेख प्रारुप की तैयारी।—(1) किस्तवार कार्यान्वयनों के लिए उत्तरदायी अभिकरण एवं अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के सहयोग से आधारभूत अधिकार अभिलेख को अद्यतन तथा तैयार करने के लिए सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में खानापुरी दलों का गठन किया जायेगा।

(2) खानापुरी दल में समाविष्ट होंगे :

- (i) सम्बन्धित अंचल कार्यालय का एक पदाधिकारी / राजस्व कर्मचारी;
- (ii) निदेशक, भू-अभिलेख एव परिमाप के प्रतिनिधि;
- (iii) कोई अन्य पदाभिहित पदाधिकारी / कर्मी ।

(3) सरकार, रैयतों के लिए सूचनाओं की तैयारी एवं सम्बन्धित रैयतों को उनका तामिला करने तथा उनपर आपत्तियाँ आमंत्रित करने सहित, पूर्णतः या अंशतः प्रारम्भिक अधिकार अभिलेख की तैयारी में किसी निजी एजेन्सी को लगा सकेगी। सूचनाओं पर आपत्तियाँ विहित रीति से संग्रहित एवं संकलित की जाएंगी।

(4) आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करते समय खानापुरी दल रैयती जोतों के अधिकार, स्वत्व तथा स्वामित्व के निर्धारण के विषय में अद्यतन जमीनी वास्तविकताओं, परिवर्त्तनों, अन्तरणों, उपविभाजनों, बंटवारों, आनुवंशिक न्यागमन, बदलैन तथा ऐसी अन्य बातों का ध्यान रखेगा।

(5) खानापुरी दल लोक भूमि, सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसम्पत्ति, संसाधन के रूप में ली जानेवाली भूमि तथा अन्य ऐसी भूमि की पहचान तथा सीमांकन करेगा एवं उसे अधिकार– अभिलेख में अभिलिखित करेगा।

(6) दावों एवं आपत्तियों, अगर कोई हों, का निपटारा कानूनगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा, विहित रीति से, किया जायेगाः

परन्तु लोक भूमि से सम्बन्धित दावों एवं आपत्तियों का निपटारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी की पंक्ति से अन्यून पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त रीति से तैयार किए गए अधिकार-अभिलेख को अधिकार-अभिलेख प्रारुप कहा जाएगा।

8. खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारुप का प्रकाशन।–किस्तवार एवं खानापुरी के दौरान तैयार किए गए मानचित्रों सहित अधिकार–अभिलेख प्रारुप को, सम्बन्धित राजस्व ग्राम में, इस सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार, प्रकाशित किया जाएगा।

9. खानापुरी अधिकार—अभिलेख पर आपत्तियों को आमन्त्रित किया जाना।—सम्बन्धित राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्यान्वयन के अन्त में दावों एवं आपत्तियों का आमंत्रण एवं संकलन किया जायेगा तथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / चकबंदी पदाधिकारी की पंक्ति से अन्यून पदाधिकारी द्वारा, विहित रीति से, निपटारा किया जायगाः

परन्तु वैसे मामलों की, जिसमें दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी के द्वारा किया गया हो, सुनवाई एवं निपटारा उसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

10. विश्रान्ति के दौरान कार्य।—अधिनियम की क्रमशः धारा—7 एवं 9 के अनुसार आपत्तियों तथा अपीलों के निपटारा के बाद, विश्रान्ति में जाँच, सफाई, मुकाबला, रदीफ, तरतीब, तरमीम इत्यादि विहित रीति से किये जाएंगे। 11. अधिकार—अभिलेख का अन्तिम प्रकाशन।—(1) अधिनियम की धारा—10 के अधीन विश्रान्ति के दौरान कार्य समापन के उपरान्त, किसी राजस्व ग्राम के अधिकार—अभिलेख का अन्तिम प्रकाशन, विहित रीति सं, जिला के समाहर्त्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन किया जाएगा।

(2) अधिकार—अभिलेख के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्तियाँ, उसके अंतिम प्रकाशन के 3 माह के भीतर दायर किये जा सकेंगे तथा वैसे दावों एवं आपत्तियों का निपटारा, विहित रीति से, भूमि सुधार उप—समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

ुँ (3) अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार–अभिलेख की एक प्रति सम्बन्धित अंचल कार्यालय को दिन–प्रतिदिन के राजस्व प्रशासन में अनुवर्त्ती कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी।

12. अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की उप–धारणा एवं शुद्धता।–(1) इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से तैयार एवं प्रकाशित अधिकार–अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित उपधारित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, किसी क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उस क्षेत्र के भीतर सभी ग्रामों के अधिकार–अभिलेखों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है तथा उक्त अधिसूचना उस प्रकाशन का निर्णायक साक्ष्य मानी जाएगी।

(3) उस प्रकार प्रकाशित अधिकार—अभिलेख की प्रत्येक प्रविष्टि उक्त प्रविष्टि से सम्बन्धित विषय का साक्ष्य होगी, तथा उसे तबतक शुद्ध उपधारित किया जायेगा, जब तक साक्ष्य द्वारा उसे अशुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता।

13. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के बाद चकबन्दी ।—(1) इस अधिनियम के अधीन विशेष सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त से आच्छादित राजस्व ग्रामों में बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 में यथा उपबन्धित चकबन्दी का प्रचालन किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त में लगे कार्यबल को, आवश्यकतानुसार चकबन्दी प्रचालनों में लगाया जा सकेगा।

(2) स्वैच्छिक चकबन्दी/भूमि के विनिमय को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसके लिए सम्यक् लोक सूचना आधार सृजित किया जाएगा।

14. डिजिटल प्ररूप में अभिलेखों का संधारण।—सृजित अभिलेखों की प्रति को, विहित रीति से, डिजिटल प्ररूप में संधारित किया जा सकेगा।

अध्याय–3 अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर

15. अनुज्ञपित दिया जाना तथा सूचीकरण।—(1) निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, इस निमित्त अधिकथित नियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के रूप में नामांकित होने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेंगे।

(2) अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु इच्छुक आवेदक के पास इस निमित्त अधिकथित नियमों में तकनीकी अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।

(3) निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नामांकन करेंगे तथा सूची को जिला समाहर्त्ताओं के पास जैसे, जब और जहाँ अपेक्षित हो, इस संबंध में निर्गत होनेवाले कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार, उपयोग हेतु भेज देंगे।

- (i) यथा रैयतों के द्वारा आवेदित स्केच / स्केल मैप तैयार करना;
- (ii) किसी सरकारी प्राधिकार या सार्वजनिक निकाय के द्वारा यथापेक्षित स्केल मैप तैयार करना;
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाहियों में अधियाची निकाय के द्वारा यथापेक्षित स्केल मैप तैयार करना;
- (iv) कैडस्ट्रल तथा पुनरीक्षण सर्वेक्षणों के दौरान तैयार किए गए मानचित्रों को अद्यतन करना;
- (v) आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किए गए डिजिटल मानचित्रों को सत्यापित करना एवं सरजमीन सत्यापन कार्य करना;
- (vi) क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त प्रचालनों के दौरान, मानचित्र—निर्माण के बाद के चरण में अधिकार—अभिलेख तैयार करना, साथ ही, राजस्व कार्यालयों में संधारित राजस्व अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहायता पहुँचाना;
- (vii) राजस्व कार्यालयों के बीच अन्तर-सम्बद्धीकरण में सहायता पहुँचाना;
- (viii) चकबन्दी की कार्यवाहियों के दौरान मानचित्र एवं अधिकार-अभिलेख तैयार करना;
 - (ix) निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार / किसी जिला के समाहर्त्ता के द्वारा प्रदत्त कोई अन्य अनुषंगी दायित्व।

17. अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के बीच कार्य–वितरण।– समाहर्त्ता या जिले का अन्य कोई राजस्व पदाधिकारी संबंधित राजस्व कार्यालय में उपलब्ध अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के बीच कार्य का वितरण कर सकेगा। **18. फीस तथा पारिश्रमिक।**–(1) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्राधिकार अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए फीस/पारिश्रमिक निश्चित करने हेतु सक्षम होगा।

(2) धारा—5 में उपबंधित कार्य किसी निजी व्यक्ति को सेवाएँ अर्पित करने की दशा में वह व्यक्ति, आवेदन प्रपत्र के साथ, यथा विहित राशि संबंधित राजस्व कार्यालय में जमा करेगा। राजस्व पदाधिकारी फीस का कुछ हिस्सा, यथाविहित रीति से, वर्त्तमान अधिकार—अभिलेख की प्रतियाँ, अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को आपूरित करने के निमित्त, अनुषंगी व्यय के रूप में काट लेगा। शेष राशि, बतौर फीस, उस अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को, जिसे कार्य आवंटित हुआ हो, कार्य के संतोषजनक समापन के उपरान्त भुगतेय होगी।

(3) अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर के द्वारा तैयार किए गए स्केच मैप/स्केल मैप का संबंधित अंचल के पदाधिकारी/स्टाफ के द्वारा सत्यापन किया जाएगा तथा निष्कर्ष, लिखित रूप में, अभिलिखित किए जाएँगे। कार्य असंतोषजनक पाये जाने की दशा में, संबंधित अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को, विषय, नए सिरे से कार्य क्रियान्वित करने के लिए, पुनर्प्रेषित कर दिया जाएगा।

(4) यदि किसी अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को, किसी सरकारी विभाग, भू–अर्जन से सम्बन्धित अधियाची निकाय या किसी सार्वजनिक निकाय, संस्था या प्राधिकार के द्वारा, कोई कार्य सौंपा गया हो, तो अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को, विहित रीति से, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को सर्वेक्षण, बन्दोबस्त या चकबन्दी प्रचालनों के दौरान मानचित्र/अधिकार–अभिलेख को तैयार करने से संबंधित या अधिकार–अभिलेख के अद्यतनीकरण तथा इसी प्रकार का कार्य दिया जाता है तो उसे, विहित रीति से, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

19. अनुज़प्ति का रदकरण।—कर्त्तव्यों की अवहेलना, असंतोषप्रद क्रिया—कलाप अथवा अन्य किसी सिद्ध कदाचार के मामले में, निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप द्वारा या तो स्वप्रेरणा से अथवा जिला के समाहर्त्ता द्वारा इस आशय से की गयी अनुशंसा पर, अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर की अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।

अध्याय–4

विविध

20. अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना।—(1) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि या परम्परा या प्रचलन, जिन्हें किसी विधि या संविदा या न्यायनिर्णय का बल प्राप्त हो, किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के डिक्री या आदेश में, अंतर्विष्ट इन प्रावधानों से असंगत होने पर भी इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे।

(2) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1959, तकनीकी नियमावलियों तथा बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973, में अधिकथित सर्वे एवं बन्दोबस्त के लिए प्रक्रिया, इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन निर्मित नियमों तथा उसके अधीन बनाये गए हस्तक तथा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, समय–समय पर, निर्गत मार्गदर्शनों द्वारा यथास्थिति, अवक्रमित, संशोधित या अनुपूरित मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण।— तत्समय प्रवृत्त उपयुक्त विधि के अधीन की गई पूर्व में सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यवाही इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद किसी भी हदतक अवैध नहीं मानी जायेगी।

21. कतिपय मामलों में राज्य का अनिवार्य पक्षकार होना।—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, ऐसे मामलों में, जो ऐसी भूमि या उसके अंश से सम्बन्धित हों, जो पूर्व में किसी भी नामकरण से लोक भूमि के रूप में, अभिलिखित हो, राज्य एक अनिवार्य पक्षकार होगा।

22. कार्यवाहियों का संक्षिप्त निपटारा।—इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों का, इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार, संक्षिप्त निपटारा किया जाएगा।

23. अन्तिम प्रकाशन तक अधिकारिता का वर्जन।–इस अधिनियम में उपबंधित स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश या लिए गए निर्णय को निरस्त या उपांतरित करने हेतु या उसकी वैधता को प्रश्नगत करने वाले या इस अधिनियम के दायरे में पड़नेवाले किसी मामले के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा जबतक इस अधिनियम की धारा–12 के अधीन अधिकार–अभिलेख का अन्तिम प्रकाशन नहीं हो जाता है।

24. निदेश देने की शकित।–राज्य सरकार, इस अधिनियम को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, राज्य के अधीनस्थ किसी अधिकारी, प्राधिकार या व्यक्ति को यथोचित निदेश निर्गत करने में सक्षम होगी।

25. तकनीकी मार्गदर्शिका निर्मित करने की शक्ति।—निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार को, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, तकनीकी मार्गदर्शिका निर्मित करने की शक्ति होगी।

26. सद्भाव से किए गए कार्यों का संरक्षण।—इस अधिनियम के अधीन या इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन सद्भावना पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जाएंगी। 27. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।—यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार बिहार राजपत्र में आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों और प्रावधानों से संगत ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो।

28. नियमावली बनाने की सरकार की शक्ति।—(1) इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, नियमावली बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए नियम का प्रावधान कर सकेगी :--

- (i) कार्यवाही के संक्षिप्त निपटारे की रीति;
- (ii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदन तथा रिटर्न समर्पित किए जाने की रीति;
- (iii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा आवेदनों की सूनवाई करने की रीति;
- (iv) किसी धनराशि को सरकारी लेखा में जमा किए जाने की रीति;
- (v) स्थानीय जांच पडताल के लिए नियुक्त कमीशन की शक्तियां:
- (vi) अभिलेखों एवं पंजियों का संधारण एवं नोटिसों का प्रदर्शन;
- (vii) दायर आवेदन या शिकायत दर्ज करने की रीति;
- (viii) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से, ओम प्रकाश सिन्हा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

22 दिसम्बर 2011

सं० एल०जी०-1-26/2011/243/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

> बिहार–राज्यपाल के आदेश से, ओम प्रकाश सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 24, 2011] The Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 AN

ACT

PREAMBLE :-(i) Whereas the preparation and maintenance of to-date record of rights is the basic plank on which revenue and land resource management and administration rest;

(ii) WHEREAS, experience shows that revisional survey and settlement operations, following conventional methods, in some parts of the State, have been long drawn out, cumbersome and exorbitantly expensive;

(iii) WHEREAS, revisional survey operations in Purnea, Katihar, Kishanganj and Araria were carried out from 1952 to 1986; in Muzaffarpur, Sitamarhi, Sheohar and Vaishali from 1959 to 1988; in Saharsa, Madhepura and Supaul from 1962 to 2002 and these operations are still on in Darbhanga, Madhubani and Samastipur since 1965; in Bhojpur, Buxar, Rohtas and Kaimur since 1959; in Gaya, Jahanabad, Arwal, Aurangabad and Nawada since 1965; Bhagalpur and Banka since 1965 and in Patna since 1986;

(iv) WHEREAS, the very purpose of a revisional survey and settlement is defeated if the time span on which it is undertaken is as long as reflected in the foregoing;

(v) WHEREAS, no revisional survey and settlement since cadastral survey could be carried out in 12 districts in Bihar, namely, Begusarai, Khagaria, Lakhisarai, Sheikhpura, Jamui and Munger in Munger Division; Saran, Siwan and Gopalganj in the Saran Division; East Champaran and West Champaran in the Tirhut Division and Nalanda in Patna Division;

(vi) WHEREAS, Continuous Khatian (Register-1B), Khesra Register and Register-II (Tenants' Ledger) supposed to be maintained in the Anchal Offices in an up-to-date manner, have

not been maintained as such, and consequently, transfers, successions, mutations, etc., taking place from time to time, have not been reflected therein;

(vii) WHEREAS, computerization of land records as sponsored by the Government of India some years ago has not followed a uniform approach;

(viii) WHEREAS, in the event of non-synchronisation of data put into the computer with to-date ground realities, there has been a gap between successive claims of title and a reflection of the same through land records;

(ix) WHEREAS, modern technology is available to minimize time spent on survey part, while the settlement aspect may be judiciously squeezed without sacrificing quality, transparency and grievance redressal;

(x) WHEREAS, land remaining the mainstay of development activities, current title, possession and classification of lands needs to be ascertained conclusively in order that land acquisition operations are not vitiated by unfounded assertions, fraud and fabrication and also that agricultural credit, subsidy, relief and insurance related activities are carried on smoothly.

(xi) WHEREAS, digital maps prepared through modern technology need be verified and compared with the maps prepared through conventional methods as well as a ground truthing of the same is necessary, the technically qualified Licensed Surveyors may be assigned with this task.

(xii) WHEREAS, in the post - mapping stage, it will be necessary to prepare basis record of rights taking into account the up-to-date title, ownership and possession and other requisite details of land, and the aforesaid technically qualified persons may be assigned with this task on an on-going basis.

(xiii) WHEREAS, an in-built computerized and digital system of the maintenance of the Record of Rights including maps in a sine-qua-non for all development processes and the aforesaid technically qualified persons may be assigned with this task on a regular basis.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Second year of the Republic of India as follows-

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) This Act may be called the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from such date which the Government may appoint by notification in the official gazette.

CHAPTER-I

Definitions

2. *Definitions.-* (1) In this Act, unless otherwise requires in the context, definitions provided in the Bihar Tenancy Act, 1885, the Bihar Survey and Settlement Manual, 1959 and the Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 shall remain prevailing.

(2) Special definitions.-In the Act, unless otherwise required in the context -

- (i) "Act" means The Bihar Special Survey & Settlement Act, 2011;
- (ii) "Collector" means the Collector of the district;
- (iii) "Draft Publication" means the publication of the draft of Record of Rights so as to enable the public to know about the entries made by the survey authorities. Anybody having grievances against the entries may file objections which shall be heard and be disposed off;
- (iv) "Government" means the Government of Bihar;
- (v) "Final Publication" means fair copying of khatians and their final publication in survey and settlement operations;
- (vi) "Jaanch" means final checking of records, made after the disposal of objections;
- (vii) "Khanapuri" means the filling up of khatian's columns like raiyat's name, the khesra, possession, etc. in the preliminary record-writing stage of survey and settlement operations;
- (viii) "Khesra" means the list showing of plots serially numbered according to the map showing occupants, area and classification plot by plot;

- (ix) "Khatian" means a record of raiyats' rights including plot number, area, quality and possession of land;
- (x) "Land Holder" means land holder as defined in the Bihar Tenancy Act, 1885;
- (xi) "Licensed Surveyor" means a person technically qualified to measure, draw sketch map/map according to the scale of plots and holding license from the Director, Land Records & Survey, Bihar to carry out work relating to survey and settlement and such other work as is assigned to him from time to time;
- (xii) "Prescribed" means prescribed by the Act and Rules made there under;
- (xiii) "Prescribed fee" means amount payable by raiyats for obtaining the services of the licensed surveyor;
- (xiv) "Remuneration" means amount payable by the Government or any other public body for taking the services of the licensed surveyor;
- (xv) "Kistwar" means the measurement and plotting of land according to cultivation;
- (xvi) "Muqabla" means comparison;
- (xvii) "Radif" means to arrange;
- (xviii) "Record of rights" means entries of the surveyed land along with their category, ownership, nature, area, etc. After final publication it carries a statutory presumption of correctness;
- (xix) "Recess" ordinarily means the stage during which records are prepared for the stage next to the khanapuri stage;
- (xx) "Revisional Survey" means survey operations initiated and conducted on the basis of the blue print map of the cadastral survey in order to update the lord records;
- (xxi) "Safai" means fair copying;
- (xxii) "Settlement" means survey operations conducted in a district or in an area in order to determine land revenue assessment;
- (xxiii) "State" means the State of Bihar;
- (xxiv) "Tarmim" means compliance of order of correction;
- (xxv) "Tartib" means arrangement of record; alphabetical arrangement of Khatian according to names of raiyats.

CHAPTER-II Special Survey and Settlement

3. Notification of intention in the official gazette.—The Government may, by a notification in the official gazette, express its intention to carry out special survey and settlement in a part or the whole of the State, in accordance with the provisions of this Act.

4. *Re-organizing on-going survey operations.*—The Government may, by order, reorganize the ongoing revisional survey operations in the districts concerned, to bring the same in conformity with the provisions of this Act, so far as it may be deemed necessary, in the prescribed manner and the earlier proceedings shall not be construed to be illegal to any extent, on account of this shift.

5. Self declaration by land holders.—After notification under section-3 a land holder may submit in the concerned Anchal Office/Camp Office, a self declaration of plots owned/held by him in the prescribed manner. The Anchal Office shall verify the self declaration on the basis of the available records and issue verification certificate.

6. *Kistwar by modern technology.*— (1) Kistwar of a revenue village may be carried out by modern technology inclusive of base mapping, demarcation and ground truthing in accordance with the procedure laid down in this behalf.

(2) Kistwar operations shall be duly publicised at the local level to ensure and facilitate active participation by the Panchayati Raj Institutions and people of the villages concerned.

7. *Constitution of khanapuri parties and the preparation of the draft record of rights.*—(1) Khanapuri parties shall be constituted in the revenue villages concerned to update and prepare

basic record of rights in collaboration with the agency responsible for kistwar operations and licensed surveyors.

(2) A khanapuri party shall comprise of :

- (i) An officer/revenue employee of the Anchal office concerned,
- (ii) Representative of the Director, Land Records & Survey.
- (iii) Any other designated officer or employee.

(3) The Government may engage a private agency in the preparation of preliminary record of rights in whole or in part, including preparation of notices for the raiyats and their service to the raiyats concerned and inviting objections thereon. Objections to the notices shall be collected and compiled in the prescribed manner.

(4) While preparing the basic record of rights, the khanapuri party shall take into account to-date ground realities, changes, transfers, sub-divisions, partitions, hereditary devolution, exchanges and the like in matters of determining right, title and ownership of the raiyati holdings.

(5) The khanapuri party shall identify and demarcate public lands, Government lands, lands treated as common property resources and the like and record the same as such in the Record of Rights.

(6) Claims and objections, if any, shall be disposed of in the prescribed manner by an employee/officer not below the rank of Kanoongo/Circle Inspector/ Assistant Consolidation Officer.

Provided claims and objections with regard to Public Land shall be disposed of by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer/ Circle officer/ Consolidation Officer.

The land records prepared in the aforesaid manner shall be called the Draft Record of Rights.

8. *Publication of the draft khanapuri record of rights.*—The draft record of rights, including maps, prepared during kistwar and khanapuri, shall be published in the concerning revenue village in accordance with the procedure laid down in this behalf.

9. Inviting objections to the khanapuri record of rights.—Claims and objections shall be invited and compiled at the end of the khanapuri operations in the revenue village concerned and shall be heard and disposed of in the prescribed manner by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer/ Circle Officer/ Consolidation Officer.

Provided cases in which claims and objections have been decided under section-7 of this Act by an officer of the rank of Assistant Settlement Officer/ Circle Officer/ Consolidation Officer, shall not be heard and disposed of by the same Officer.

10. *Work during recess.*— After the disposal of objections and appeals in accordance with Section 7 and 9 of the Act respectively, Jaanch, Safai, Muqabla, Radif, Tartib, Tarmim, etc. shall be carried out in recess, in the prescribed manner.

11. *Final publication of the record of rights.*—(1) The record of rights of a revenue village shall be published finally under the hand and seal of the Collector of the District, in prescribed manner, after the conclusion of work during recess under Section 10 of the Act.

(2) Claims and objections with regard to the record of rights may be filed within 3 months of its final publication and such claims and objections shall be heard and disposed of in the prescribed manner by an officer not below the rank of Land Reforms Deputy Collector.

(3) A copy of the finally published record of rights shall be sent to the concerning Anchal Office for follow up action in day-to-day revenue administration.

12. *Presumption of final publication and correctness of record of rights.*—(1) The record of rights finally prepared and published under this Act, shall be presumed to have been finally published.

(2) The State Government may, by notification, declare, with regard to any specified area, that a record of rights has been finally published for every village included in such area and such notification shall be conclusive evidence of such publication.

(3) Every entry in a record of rights so published shall be evidence of the matter referred to in such entry and shall be presumed to be correct unless it is proved by evidence to be incorrect.

13. Consolidation to follow special survey & settlement.—(1) Consolidation operations, as provided in The Bihar Consolidation of Holdings & Prevention of Fragmentation Act, 1956 shall be made in the revenue villages covered by special survey and settlement under this Act. The workforce engaged in special survey and settlement may be engaged, as per need, in Consolidation operations.

(2) Voluntary consolidation/exchange of land shall be encouraged and due public information base shall be created for the same.

14. *Maintenance of records in digital form.*—Copy of created records may be maintained in digital form in the prescribed manner.

CHAPTER-III Licensed Surveyor

15. *Granting of license and enrolment.*—(1) The Director of Land Records & Survey, Bihar shall invite applications from persons desirous of being enrolled as licensed surveyors as per Rules laid down in this behalf.

(2) The applicant desirous for the grant of license should possess technical qualifications and experience prescribed in the Rules laid down in this behalf.

(3) The Director of Land Records & Survey, Bihar shall enroll the qualifying candidates and send the list to the District Collectors for use as and when and where required in accordance with executive instructions to be issued in this regard.

16. Duties of the licensed surveyors.—

- (i) to prepare sketch map/ map to scale as applied for by the raiyats;
- (ii) to prepare map to scale as required by a Government authority or Public Body;
- (iii) to prepare map to scale as required by the requisitioning body in the land acquisition proceedings;
- (iv) to update maps prepared in course of cadastral and revisional surveys;
- (v) to verify digital maps prepared through modern technology and carry out ground truthing exercises;
- (vi) to prepare record of rights in the post-mapping stage, during field survey and settlement operations as well as facilitate updating of land records maintained in the revenue offices;
- (vii) to facilitate inter-connectivity among revenue offices;
- (viii) to prepare maps and record of rights during Consolidation Proceedings;
- (ix) any other incidental liability conferred by the Director of Land Record and Survey, Bihar/Collector of any District.

17. *Distribution of work among licensed surveyors.*— The Collector or any other revenue officer in a District shall distribute work among licensed surveyors, whose rolls are available in the revenue office concerned.

18. *Fees & Remuneration.*—(1) The authority nominated by the State Government shall be competent to decide the fee/remuneration for different works/services to be rendered by the Licensed Surveyors.

(2) In case the work as provided in Section 5 pertains to rendering services to a private individual, the individual shall, along with an application form, deposit such amount as is prescribed, in the revenue office concerned. The revenue officer shall deduct a part of the fees as incidental costs for supplying copies of the existing record of rights to the licensed surveyor in the prescribed manner. The rest of the amount shall be payable to the licensed surveyor to whom the work is allotted, as fees, on satisfactory completion of the work.

(3) The sketch map/ map to scale, as prepared by the licensed surveyor, shall be verified by the officer/staff of the Anchal concerned and findings shall be recorded in writing. In case the work is found unsatisfactory, the matter shall be remitted back to the licensed surveyor concerned for carrying out the exercise afresh.

(4) In case, a work has been assigned to the licensed surveyor by a Government department, Requisitioning Body relating to land acquisition or any public body, institution or authority, the licensed surveyor shall be paid remuneration in the prescribed manner.

(5) In case, the licensed surveyor is assigned work pertaining to the preparation of maps/ record of rights during survey, settlement and consolidation operations or updating of records of rights and the like, he shall be paid remuneration in the prescribed manner.

19. *Cancellation of license.*—In case of dereliction of duties, unsatisfactory activities or any other proven misconduct, the Director Land Records and Survey may either suo motu or on the recommendation of the Collector of the District to this effect may cancel the license of the licensed surveyor.

CHAPTER-IV Miscellaneous

20. Act to override other laws.—(1) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, of any customs or usages having the force of law or contract or judgment, decree or order of the court or any other authority.

(2) The procedure for survey and settlement as laid down in the Bihar Tenancy Act,1885, The Bihar Survey and Settlement Manual, 1959 Technical Rules and The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973

shall be deemed to be superseded, modified or supplemented, as the case may be, by the provisions of this Act, Rules and Manual made hereunder and guidelines issued from time to time to give effect to the provisions of this Act.

Explanation.- Earlier Survey & Settlement proceedings carried out under the appropriate law for the time being in force, shall not be construed to be illegal, to any extent, after coming into force of this Act.

21. State to be a necessary party in certain cases.—(1) Notwithstanding any thing contained in any provision in any law for the time being in force, in cases concerning a land or a portion thereof, recorded previously as public land, under whatever nomenclature, the State shall be a necessary party.

22. Summary disposal of proceedings.—All proceedings under this Act shall be disposed off summarily in accordance with the provisions of the Act and Rules framed hereunder.

23. Bar of Jurisdiction until final publication.—Save as otherwise expressly provided in this Act, no Court, except the Patna High Court and the Supreme Court of India, shall entertain any suit, or other proceeding to set aside, or modify or question the validity of an order or decision passed or taken by an authority under this Act or any rules made thereunder or in respect of any matter falling within the scope of this Act, until and unless the record of rights is finally published under Section-12 of this Act.

24. *Power to give directions.*—For the purpose of giving effect to the provisions of this Act, it shall be competent for the State Government to issue such directions as they may deem fit to any officer, authority or person subordinate to the Government.

25. *Power to frame technical guidelines.*—The Director, Land Records & Survey, Bihar shall have the power to frame technical guidelines to carry out all or any of the purposes of this Act.

26. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done.

27. Power to remove difficulties.— If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order in the Bihar Gazette, make such provisions not inconsistent with the purposes or provisions of this Act as appear to be necessary or expedient to remove the difficulty.

28. *Power of the Government to make rules.*—(1) The Government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out all or any of the purposes of the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers the rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (i) the manner in which summary disposal of proceedings shall be carried out.
- (ii) the manner in which reports and returns are to be submitted by the competent authority;
- (iii) the manner in which applications shall be heard by the competent authority;
- (iv) the manner in which any amount shall be deposited in the Government account;
- (v) the powers of the Commission appointed for local enquiry;
- (vi) the maintenance of records and registers and display of notices;
- (vii) the manner in which application or complaint shall be filed;
- (viii) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

By Order of the Governor of Bihar,

OM PRAKASH SINHA,

Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 800-571+400-डी0टी0पी0। Website: <u>http://egazette.bih.nic.in</u>